6470

प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अड़तालीस' परिशिष्ट - अ [20/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 6470]

सागर जिले में राजस्व विभाग में रिक्त पदों की जानकारी तहसीलदार/नायब तह0
विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6470 द्वारा श्री हर्ष यादव जी परिशिष्ट–"अ"(1)

क0	तहसील का नाम	तहसीलदार			नायब तहसीलदार		
		स्वीकृत	भरे	रिक्त	स्वीकृत	भरे	रिक्त
1	सागर	3	2	1	6	4	2
2	राहतगढ	1	1	0	1	1	0
3	बण्डा	2	1	1	2	1	1
4	शाहगढ	1	1	0	1	0	1
5	रहली	1	1	0	1	1	0
6	गढाकोटा	1	1	0	1	1	0
7	देवरी	1	1	0	3	0	3
8	केसली	1	1	0	1	1	0
9	खुरई	2	1	1	2	0	2
10	मालथौन	1	1	0	1	0	1
11	बीना	1	1	0	1	0	1
		15	12	03	20	09	11

सागर जिले में राजस्व विभाग में रिक्त पदों की जानकारी राजस्व निरीक्षक विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6470 द्वारा श्री हर्ष यादव जी परिशिष्ट–"अ"(2)

क0	तहसील का नाम	भू–अभिलेख			डायवर्सन			नजूल जांच			भू प्रबंधन		
		स्वीकृत	भरे	रिक्त	स्वीकृत	भरे	रिक्त	स्वीकृत	भरे	रिक्त	स्वीकृत	भरे	रिक्त
1	सागर	7	7	0	2	2	0	3	3	0	10	4	6
2	राहतगढ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बण्डा	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	शाहगढ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	रहली	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	गढाकोटा	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
7	देवरी	3	2	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
8	केसली	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	खुरई	2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
10	मालथौन	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	बीना	2	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
	योग	24	23	1	7	5	2	8	7	1	10	4	6

टीप– जिले में राजस्व निरीक्षकों के सभी याजनाओं में कुल पद–49 स्वीकृत है एवं 39 पद भरे हुये है।

अधीक्षक
भू–अभिलेख सागर

डिप्टी कलेक्टर
जिला सागर

D:\Vidhan Sabha

परिशिष्ट - क
प.क्र..6470

मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2012

एफ नं. 2-1/2012/सात (एक)

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष
मध्य प्रदेश

विषयः- दिनांक 22 जून 2007 को संपन्न कोटवार पंचायत में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के परिपालन में कोटवारों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने से संबंधित शासन द्वारा जारी आदेशों के परिपालन की सुनिश्चितता।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 22 जून 2007 को संपन्न कोटवार पंचायत में कोटवारों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने से संबंधित की गई घोषणाओं के परिपालन में इस विभाग एवं शासन के अन्य संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्न विवरणानुसार निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं:-

अनु. (1)	परिपत्र जारी करने वाले विभाग का नाम (2)	परिपत्र क्रमांक एवं दिनांक (3)	विषय (4)
1.	राजस्व विभाग	1. 724/1097/07-सात-एक दि. 20.7.07 2. एफ 9-4/08/सात-एक दि. 25.7.09	कोटवारों के पारिश्रमिक में वृद्धि
2.	राजस्व विभाग	एफ 3-17/07/सात-5 दि. 5.10.07	कोटवारों को निःशुल्क साइकिल प्रदाय करने हेतु
3.	राजस्व विभाग	एफ 2-6/07/सात-एक दि. 23.7.07	1-प्रत्येक कोटवार को प्रतिवर्ष 2 जोड़ी वर्दी जिसमें खादी-पॉलिस्टर का कुर्ता तथा पाजामा, धोती एवं टोपी, 5 वर्ष में बेल्ट व बल्लम प्रदाय करना। 2-सभी कोटवारों को वर्ष में 1 बार बरसाती जूते प्रदाय करना। 3-सभी कोटवारों को 1 बार टार्च प्रदाय करना।
4.	राजस्व विभाग	1114/07/सात-एक दि. 13.8.07	1-कोटवार की कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर उसकी पत्नी/पुत्र/पुत्री को भू-राजस्व संहिता की धारा 230 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने पर कोटवार के पद पर अनिवार्य रूप से नियुक्ति प्रदान करने से संबंधित। 2-जिन ग्रामों में कोटवार नहीं हैं वहां कोटवार के पद पर नियुक्ति प्रत्येक ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए एक या अधिक कोटवार निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ग्रामवार किए जाने से संबंधित। 3-उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोटवारों को पुरस्कृत करने के लिए तहसील स्तर पर एक "सर्वोत्तम कोटवार पुरस्कार योजना"।

5.	राजस्व विभाग	945/1097/07/ सात-एक दि. 28.9.07	कोटवारों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदाय करना
6.	राजस्व विभाग	507/1097/07/ सात-एक दि. 30.6.07	यदि नगरीय क्षेत्र में वृद्धि करने पर किन्हीं ग्रामों को शामिल कर नगरीय क्षेत्र बनाया जाता है तो ऐसे ग्रामों के कोटवारों के पद उनके पद पर बने रहने तक जारी रहेंगे और ऐसे कोटवारों से उनके कर्तव्यों के समकक्ष कार्य लिये जाने से संबंधित।
7.	राजस्व विभाग	595/07/सात-एक दि. 30.6.07	जनश्री बीमा योजना 2005 को प्रभावी रूप से जिले में क्रियान्वित करते हुए इस योजना के माध्यम से सभी कोटवारों को बीमित करने संबंधित।
8.	राजस्व विभाग	1-एफ 9-19/98/सात-एक दि. 25.8.06 2-एफ 2-6/07/सात-एक दि. 3.3.10	माल गुजारी के समय दी गई भूमियों पर विधि अनुसार पात्रता परीक्षण करते हुए मालिकाना हक दिये जाने से संबंधित।
9.	राजस्व विभाग	एफ 709/07/सात-एक दि. 18.7.07	कोटवारों से किसी अधिकारी दवारा बेगारी नहीं लिए जाने और यदि कोई बेगारी कराएगा तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने से संबधित।
10.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1801/1987/07/सत्र/3 दि. 21.9.04	कोटवार तथा उसके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा की व्यवस्था करने एवं उन्हें दवाइयां एवं अन्य सामग्री नियमानुसार दिए जाने से संबंधित।
11.	गृह विभाग	1026/10090/07/बी-1 दि. 8.2.08	यदि कोई कोटवार के विरुद्ध कोई शिकायत आती है तो बिना कोई जांच किए मामला दर्ज नहीं किए जाने से संबंधित।

2. कोटवार संघों तथा विभिन्न स्थानों के विभिन्न कोटवारों से इस विभाग को निरंतर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं कि शासन द्वारा कोटवारों को उपर्युक्तानुसार सुविधाएं दिए जाने से संबंधित राजस्व, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्रों में उल्लिखित निर्देशों का उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप परिपालन नहीं किया जा रहा है। विशेषकर इस विषय पर अधिकांशतः शिकायतें प्राप्त होती रही हैं कि "कोटवारों को मालगुजारों द्वारा व्यक्तिगत सेवा के रूप में दी गई भूमियों पर कब्जा विहीन कोटवारों को वास्तविक रूप से कब्जा" नहीं मिल पा रहा है एवं ऐसी भूमियों पर बाहुबलियों/दबंगों/असामाजिक तत्वों आदि ने अनियमित एवं अवैध रूप से कब्जे कर रखे हैं। फलस्वरूप शासन द्वारा जिन मूल आधारों एवं भावनाओं पर कोटवारों को उपर्युक्तानुसार सुविधाएं देने के निर्णय लिए गए हैं उन आधारों एवं भावनाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इनके कारण शासन की अपेक्षा है कि कोटवारों को उपर्युक्तानुसार दी गई सुविधाओं से संबंधित इस विभाग एवं अन्य विभागों के परिपत्रों में उल्लिखित निर्देशों का दृढ़ता एवं गंभीरता से परिपालन सुनिश्चित किया जाए एवं ऐसी सुनिश्चितता में बाधक बनने वाले व्यक्तियों आदि के विरूद्ध विधि अनुसार त्वरित आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(अजीत केसरी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग